

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निविदा सूचना


क्रमांक : एसके/एचसी/2013-14/224

दिनांक: 18.01.2014

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय को वर्ष-2014 हेतु 4000 टेलीफोन निर्देशिका का मुद्रण कर सप्लाई करने हेतु दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्ध निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। टेलीफोन निर्देशिका की साइज 12X17.5 सें.मी. होनी चाहिये, इसके पृष्ठ 80 जीसीएम के सफेद मेपलिथो (Maplitho) पेपर तथा मुख्य पृष्ठ हेतु आर्ट कार्ड (with Plascit Lemanited) पेपर का होना चाहिये। टेलीफोन निर्देशिका हेतु मेन्युस्क्रिप्ट एवं नमूनानुसार कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। (अनुमानित मूल्य 1 लाख रुपये है)

निविदा प्रपत्र दिनांक 20.01.2014 से 29.01.2014 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं निविदाएँ दिनांक 29.01.2014 को साँय 4 बजे तक प्राप्त की जावेंगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 29.01.2014 को साँय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (प्रशासन),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ संख्या - 1

1. निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में दिनांक 20.01.14 से दिनांक 29.01.14 को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल (Cashier) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 29.01.2014 को साँय 4 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी होनी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 29.01.2014 को साँय 4.30 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. निविदादाता को अनुमानित क्रय राशि का 2 प्रतिशत रूपये कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद रूप से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवाई जायेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाए कोने में निविदादाता का नाम, पता व फोन नम्बर लिखे होने चाहिये।
4. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप में लिख कर अंकित करनी होगी। निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा कॉट-छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का खर्चा (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
5. राजस्थान उच्च न्यायालय, टेलीफोन निर्देशिका 2014 का मुद्रण, कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये मैन्युस्क्रिप्ट एवं नमूनानुसार होनी चाहिये। टेलीफोन निर्देशिका की साइज 12X17.5 सें.मी. की हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मैपलिथो (Maplitho) पेपर काम में लिया जावे तथा मुख्य पृष्ठ पर आर्ट कार्ड (Artcard) काम में लेते हुए लेमिनेशन किया हुआ होना चाहिये। निर्देशिका लगभग 150-160 पृष्ठों पर आगे पीछे मुद्रण करना होगा।
6. टेलीफोन निर्देशिका का ले-आउट और डिजाइन अच्छे स्तर का होना चाहिये। किसी भी ले-आउट और डिजाइन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। टेलीफोन निर्देशिका का मुद्रण करने से पूर्व ले-आउट और डिजाइन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
7. टेलीफोन निर्देशिका का वांछितानुसार मुद्रण कार्य कर सात दिवस के भीतर कार्यालय में सप्लाइ करनी आवश्यक होगी।
8. किसी भी माल/वस्तुओं की सप्लाइ आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर सप्लाइ किये जाने वाले सामान की कुल कीमत का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी। जिसमें जमा धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। सभी महत्वपूर्ण शर्तें उसके बदले स्वीकार की गई सभी शर्तें तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार अनुबन्ध का भाग होगा।

AS


कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें ::

पृष्ठ संख्या - 2

9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा । सन्तोषप्रद सप्लाई के पश्चात ही भुगतान देय होगा । प्रत्येक सप्लाई आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवत्ता/निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी । माल आदेशानुसार नहीं होने पर निविदादाता के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा ऐसा सामान बाजार से क्रय कर अंतर की राशि/ अधिक व्यय सम्बन्धित निविदादाता से वसूल की जाएगी ।
10. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने को पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा । विभाग न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता में निहित होगा ।
11. निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाई, राजस्थान के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत वस्तुओं की निविदा दे सकती है । उनको धरोहर राशि जमा कराने की छुट का लाभ नियमानुसार देय होगा । किसी अन्य सप्लाई के लिए जमा धरोहर राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जावेगा ।
12. उक्त कार्य सम्पादन/आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये कार्यालय किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा नहीं कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी ।
13. सामग्री सप्लाई ओदश में वर्णित समय अवधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित समय) के भीतर ही करनी होगी। विलम्ब से सप्लाई पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।
14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा ।
15. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (प्रशासन),